

समाहरणालय, मधेपुरा

(आपूर्ति शाखा)

पत्रांक.....

प्रेषक,

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, मधेपुरा/नगर पंचायत मुरलीगंज।

मधेपुरा, दिनांक.....

विषय:- सत्यापित राशन कार्ड का दैनिक प्रतिवेदन भेजने के संबंध में।

प्रसंग:- सरकार के सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 2118 दिनांक 31.03.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से संलग्न विहित प्रपत्र में सत्यापित राशन कार्ड का दैनिक प्रतिवेदन की मांग की गई, जिसकी छाया प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जाती है।

विदित हो कि सरकार के सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 1316 दिनांक 23.02.2016 द्वारा संसूचित निर्देश के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 250 दिनांक 18.03.2016 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के आलोक में SECC डाटा के आधार चयनित लाभार्थियों के शुद्धिकरण हेतु डाटा का सत्यापन एवं लाभूका का आधार पंजीकरण/आधार सीडिंग तथा मृत/स्थायी रूप से निवास स्थान परिवर्तित लाभूकों का नाम हटाना एवं नये लाभूको का नाम शामिल करना के संबंध में दिनांक 19.03.2016 को 4:30 बजे अपराहन में डी0आर0डी0ए0 मधेपुरा कैम्पस अवस्थित झल्लू बावू सभागार में जिला स्तर से प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर विस्तृत दिशा-निर्देश देते हुए विभागीय पत्र एवं प्रपत्र आपको हस्तगत कराते हुए राशन कार्ड सत्यापन करने हेतु प्रशिक्षण दिया गया था।

शहरी क्षेत्र यथा-नगर परिषद मधेपुरा/नगर पंचायत मुरलीगंज का राशन कार्ड सत्यापन हेतु जिला सूचना बिज्ञान पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा उपलब्ध कराये गये डाटा के अनुसार कार्डधारी का पूर्ण विवरण (बुकलेट एवं प्रपत्र) उपलब्ध कराया जा चुका है।

अतः विषय की महत्ता को देखते हुए अनुरोध है कि संलग्न विहित प्रपत्र में राशन कार्ड सत्यापन से संबंधित दैनिक प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से संध्या 05:00 बजे तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि समेकित प्रतिवेदन विभाग को भेजा जा सकें।

अनुलग्नक:-यथोक्त

विश्वासभजन



जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
मधेपुरा।


ज्ञापांक 313 दिनांक 21.04.2016

प्रतिलिपि:- प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, नगर परिषद मधेपुरा/नगर पंचायत मुरलीगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर सत्यापित राशन कार्ड का दैनिक प्रतिवेदन 5:00 बजे अपराहन तक अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना बिज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं सभी संबंधितों को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ समर्पित।


जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
मधेपुरा।

पत्र सं० -150

185

79039

सहीत पत्राधिकारी

बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

शाखा.....आपूर्ति

प्र06-रा0का0 II-02/2013- 2118

खाद्य, पटना/दिनांक- 31.03.16



एकज कुमार,
सरकार के सचिव ।

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

सत्यापित राशन कार्ड का दैनिक प्रतिवेदन भेजने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक-1316 दिनांक-23.02.2016 के द्वारा विहित प्रपत्र में राशन कार्ड का सत्यापन करने का निदेश दिया गया था।

उक्त के सन्दर्भ में निदेश दिया जाता है कि पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में सत्यापित राशन कार्ड का दैनिक प्रतिवेदन ई-मेल/फैक्स के माध्यम से प्रतिदिन भेजवाना सुनिश्चित कराया जाय।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझें।

अनु०- यथोक्त।

विश्वारागजन,
ह०/-

सरकार के सचिव ।

आपांक :- प्र06-रा0का0 II-02/2013- 2118 खाद्य, पटना/दिनांक- 31.03.16
प्रतिलिपि :- अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति), पटना/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी,
पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव ।

409
31/3/16

